भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 4137
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 दिसंबर, 2016/18 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>बहुराष्ट्रीय लेखांकन फर्मों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन</u>

4137. श्री राघव लखनपाल:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में प्रचालनशील कुछ बहुराष्ट्रीय लेखांकन फर्मों ने सेवा दान संबंधी मानदंडों का उल्लंघन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय लेखांकन फर्मों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 में किसी व्यक्तिगत चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की किसी फर्म द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा का प्रावधान किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(17) के अधीन भी परिभाषित किए गए 'चार्टर्ड अकाउंटेंट' शब्द का तात्पर्य ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से है जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2(1)(ख) में परिभाषित किया गया है जिसके पास उस अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन प्रैक्टिस करने का वैध प्रमाण पत्र है।

बहुराष्ट्रीय लेखांकन फर्म (एमएएफ), कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथाविहित लेखापरीक्षा के ऐसे सांविधिक कार्य नहीं कर सकती। इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें अधिनियम की प्रासंगिक धारा का उल्लंघन करते हुए भारत में एमएएफ द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा कराई गई हो।

(ग): उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह लागू नहीं होता।

*****